तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सरकार बनाम बंशीलाल वगै0 मु0नं0 03/2013	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.3.2018	पत्रावली पेश हुई। सरकार की ओर से पैरोकार सरकार उप0।गैरसायल पार्टी नं01 व उनके वकील अनुपस्थित । गैर सायल पार्टी नं0 2 के वकील उप0। बहस सुनी गई। साथ ही संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन व मनन किया गया। अप्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विविध वादों में दिये गए निर्णयों के न्यायिक दृष्टान्तों यथा S.B.criminal Misc.Petition No.665 of 2002; निर्णित 9.2.2009 जगदीश प्रसाद और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, S.B.criminal Revision Petition No.390 of 1994; निर्णित 01.11.2011 साहेब राम और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, S.B.criminal Misc.Petition No.1996 of 2006; निर्णित 19.11.2013 महेश कुमार और अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान ओर अन्य का अवलोकन किया गया, जिनमें माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने उक्त सभी प्रकरणों में जो निर्णय किए है **उनका सार यह है कि कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा–145 में सिविल वाद के विचाराधीन होने के प्रकाश में धारा 145 के अंतर्गत कार्यवाही बनी नही रह सकती – निर्णित आलोच्य आदेशों में हस्तक्षेप न्यायेचित नही है।** चूंकि विचाराधीन प्रकरण पारिवारिक न्यायालय सवाई माधोपुर के यहा sub-judiced है जहॉ से अधिकारों का निर्धारण होना है। इससे पूर्व भी जिला एवं सैशन न्यायालय ने दिनांक 7.11.12 को उक्त वाद में उभय पक्षो को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा (T.I.)से पाबन्द किया है कि उभय पक्ष विवादित भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय मुन्तकिल नही करे एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण आगे चलने योग्य नही है। अतः प्रकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा–145 के अन्तर्गत इस न्यायालय के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है,ना ही सिविल न्यायालय द्वारा दिये गये आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इस्तगासा अन्तर्गत धारा 145 CRPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखित दफतर हो । सहायक कलेक्टर (मु0) सवाई माधोपुर सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.) सवाई माधोपुर	